न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2017 दायरा दिनांक : 02.02.2017

उनवान

1— देव्या पुत्र भवाना, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

1/1— मथरीबाई बेवा देव्या, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/2— प्रभू लाल वल्द देव्या, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/3— बापूलाल वल्द देव्या, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/4— धन्नी बाई पुत्री देव्या, पत्नी मांगीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी लसूडियामेन्द

1/5— धापू बाई पुत्री देव्या पत्नी देवीलाल जाति तंवर, निवासी सांगोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/6— प्रेम बाई पुत्री देव्या, पत्नी भंवरलाल, जाति लोढ़ा, निवासी श्यामपुरिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रेमबाई पुत्री भैरू पत्नी गोपीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी अचलपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

2— अमरी पुत्री देवा पत्नी शंकरलाल, जाति लोढ़ा, निवासी रीछडिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

3— कोतल पुत्री देव्या पत्नी प्रभूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी महुवाखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— कन्हीराम पुत्र रामसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— मोतीलाल पुत्र रामसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6— गुलाब पुत्री रामसिंह पत्नी मन्ना जी, जाति लोढ़ा, निवासी जामुनिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— जगन्नाथ आत्मल नन्दा, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

7/1— राधाकिशन आत्मज जगन्नाथ, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— रामलाल पुत्र हीरा, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— शिवनारायण पुत्र हीरा, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— जड़ाव पुत्री हीरा पत्नी मांगीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी मानपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11— रमकू पुत्री हीरालाल, पत्नी मोतीलाल, जाति लोढ़ा, निवासी कोटडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12— कमली पुत्री हीरा पत्नी कन्हींराम, जाति लोढ़ा, निवासी हरीपुरा, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

13— नोरंग पुत्री हीरा पत्नी हीरालाल, जाति लोढ़ा, निवासी बिन्दली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

14— पुरी बाई बेवा हीरालाल, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

15— गजरी बाई पुत्री देवा, जाति लोढ़ा, पत्नी देवीलाल, निवासी मानपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

15/1— भंवरलाल पुत्र देवीलाल, जाति लोढ़ा, पत्नी देवीलाल, निवासी मानपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

16— ग्यारस्या पुत्र गणेश, जाति लोढ़ा, निवासी मोईकला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

17— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 64/दावा/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 6 ने अन्य रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम मोईकलां, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 49 की कुल 28 किता की 23 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा निहित है । शामलाती खाते में आराजी रहने से आये दिन हांकने—जोतने में कठिनायी आती है । अतः वादी का दावा

स्वीकार कर आराजी का विभाजन किया जाये । दिनांक 29.09.2007 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा फाईनल डिक्री जारी की गई है । फाईनल डिक्री पारित करते समय तहसीलदार, अकलेरा को समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी करना चाहिए था और पक्षकारों की उपस्थिति में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था । ग्यारस्या का 1/6 हिस्सा है, जिसमें कि 3 बीघा 18 बिस्वा बनता है परन्तु अंतिम डिक्री में उसे 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी दी गई है, जो 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी ज्यादा दी गई है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.01.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री के विपरीत अंतिम डिक्री जारी की गई है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । प्रारम्भिक डिक्री में वादी का जो हिस्सा था, उससे अधिक अंतिम डिक्री में हिस्सा दिया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 1990 आर आर डी पेज 479 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.09.2007 के अनुसार वकील वादी उपस्थित हुए हैं और वे विभाजन प्रस्ताव से सहमत है । तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की गई । तहसील से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । कुल वादग्रस्त आराजी 23 बीघा 8 बिस्वा है जिसमें वादी ने अपना 1/6 हिस्सा पृथक से दर्ज कराने के लिए प्रार्थना की है । अंतिम डिक्री में उसे 6 बीघा 5 बिस्वा आराजी दी गई है, जो कि 1/6 हिस्से से अधिक है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अंतिम डिक्री में सिर्फ वादी का हिस्सा अलग किया गया है अन्य सहखातेदारों का हिस्सा अलग नहीं किया गया है, जबकि समस्त सहखातेदारों का हिस्सा अलग किया जाना आवश्यक होता है । बंटवारा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है । तहसीलदार के द्वारा उसको प्रमाणित किया गया है, जबकि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । बंटवारा प्रस्ताव के साथ सहखातेदारों के हिस्से को दर्शाते हुए नक्शा भी तैयार नहीं किया गया है और बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो

अंतिम डिक्री जारी की गई है, वह विधि विरूद्ध है और ऐसा आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है, उसको अपास्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । इन तथ्यों के आधार पर न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । आर आर डी 1990 पेज 479 भी यहां चस्पा होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.2007 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसील से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा